

## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अगस्त 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलमी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	8271	815	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1446	2	--	-
3	असम	4436	54	--	-
4	बिहार	6974	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4416	--	1	4750
6	गोवा	593	299	--	-
7	गुजरात	12033	480	--	-
8	हरियाणा	2082	1199	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखण्ड	89	--	--	-
12	कर्नाटक	4222	--	--	13000
13	केरल	2141	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	915	--	-
15	महाराष्ट्र	41069	428	--	19000
16	मणिपुर	378	100	--	-
17	मेघालय	665	36	9	-
18	मिज़ोरम	462	39	--	-
19	नगालैंड	1635	33	--	-
20	उड़ीसा	13370	1452	84	16760
21	पुदुचेरी	292	--	--	931
22	पंजाब	695	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6620	--	40	8677
25	तेलंगाना	5658	1233	--	-
26	त्रिपुरा	372	9	--	-
27	उत्तराखण्ड	375	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3146	79	--	-
29	पश्चिम बंगाल	10124	531	214	-
	कुल	131563	7705	664	65118

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।